रजिस्ट्री सं डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 1990/भाद्र 19, 1912
No. 224] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 1990/BHADRA 19, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 60 आई टी सी (पी.एन) 90—93

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1990

विषय:—प्रक्रिया पुस्तक अप्रैल, 1990—मार्च, 1993

फाइल संख्या 1/3/85—ई.पी सी.—वाणिज्य मंत्रालय की यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 2—आई, टी सी (पी एन)/90-93, दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक अप्रैल, 1990—मार्च 1993 की (खण्ड-1) की ओर ध्यान दिलाया जाता है:

2. उक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएंगे :—

| क्रम संख्या | प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं. | सन्दर्भ | संशोधन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 293 | परिशिष्ट 19 ठ | इस परिशिष्ट के बाद इस अधिसूचना के उपाबन्ध "क" के अनुसार एक नया परिशिष्ट "19—ड" जोड़ा जाएगा। |

2. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक,
आयात निर्यात

परिशिष्ट 19-ङ

उपावन्ध-क

शुल्क छूट स्कीम के अधीन बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विधिक बंध पत्र का प्ररूप (कम से कम 15 रुपये मूल्य के या उतनी रकम के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर जितनी संबंधित राज्य के स्टाम्प कलक्टर द्वारा विहित की जाए) आयातकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
मार्फत

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात उप मुख्य नियंत्रक या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी सम्मिलित समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011

यह विलेख .....द्वारा आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा नाम और नीचे दिए अनुदेशों के अनुसार निवास स्थान का पता जिसे इसमें आगे, "आयातकर्ता" जिसके अंतर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी प्रशासक और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे कहा गया है, के द्वारा आज तारीख ..... को निष्पादित किया गया ।

ऊपर नामित पक्षकार, आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी समझा जाएगा जो इस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत है) के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के प्रति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, .....रु०.....) शब्दों और अंकों (दोनों में) का उक्त सरकार को उसके द्वारा लिखित मांग करने पर संदाय करने के वचनबद्ध हैं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं ;

1. ऊपर नामित आयातकर्ता ने, भारत सरकार द्वारा आयात और निर्यात नीति, 1990-93 (जि. 1) के पैरा 253 से 260 के अधीन अधिसूचित बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है।

2. सरकार ने आयातकर्ता को विनिर्दिष्ट मदों, जिसे इसमें आगे "छूट प्राप्त सामग्री" कहा गया है, का आयात करने की अनुज्ञा दे दी है और पूर्वोक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर मदों के आयात के लिए .....रु. (.....) ए० शब्दों और अंकों (दोनों में) मूल्य की बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति संख्या .....तारीख .....जारी करने वाले के लिए सहमत हो गई है तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 160/90—सीमा शुल्क, तारीख 30 मार्च, 1990 (यथातन) के अधीन जारी किया गया बहुव्यापी हकदारी प्रमाणपत्र सं. .....तारीख ..... भी जारी कर दिया है ।

3. और आयातकर्ता ने सरकार द्वारा यथा उपरोक्त ..... रु. की निर्यात बाध्यता का बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए लिए सहमत होने के प्रतिफलस्वरूप एक क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने का करार किया है । निर्यातकर्ता ने इसमें ऊपर उल्लिखित निर्यात बाध्यता की रकम के बराबर विदेशी मुद्रा पूर्वोक्त स्कीम के उपबंधों के अनुपालन में वसूल करने का भी करार किया है ।

क. आयातकर्ता ने, करार किया है कि :—

(क) बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन आयातित मदें अंतिम उत्पाद से संबंधित हैं और उनकी मात्रा, निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा करने के के लिए अपेक्षित प्राक्कलित सीमा तक सीमित रहेगी,

(ख) सरकार द्वारा नियत निवेश उत्पाद मानदंड और मूल्य वृद्धि और लोकहित में अधिरोपित अन्य शर्तें अंतिम और आबद्धकर होंगी ;

(ग) बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से 18 मास के भीतर या उसने अतिरिक्त समय में जो सरकार द्वारा मंजूर किया जाए, वह ऊपर विनिर्दिष्ट बहुव्यापी शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट और पूर्वोक्त अधिसूचना में यथा अपेक्षित अंतिम उत्पाद के अनुरूप माल का (जिसे इसमें आगे, "अंतिम उत्पाद" कहा गया है जिसका पूर्वोक्त स्कीम के अधीन भारत से बाहर) नेपाल और भूटान में किसी स्थान को छोड़कर यदि मुक्त विदेशी मुद्रा में संदाय नहीं किया जाता जाता है) किसी स्थान को निर्यात अपेक्षित है, पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति और बहुव्यापी शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र की शर्तों और निबंधनों के अनुसार, निर्यात करेगा और निम्नलिखित इन सभी अन्य निबंधनों और शर्तों को पूरा करेगा :—

(1) जिनका उल्लेख वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीमाशुल्क की अधिसूचना में 160/90 ता. 30 मार्च, 1990 में किया गया है, और

(2) सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा माल की निकासी के लिए किसी अन्य शर्त के अधीन रहेगा ।

(घ) आयातकर्ता को जारी की गई आयात अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय होगी ।

(ङ) आयात के प्रथम परेषण की निकासी अनुज्ञात किए जाने के पूर्व आयातकर्ता (प्रक्रिया पुस्तक, 1990-93 के पैरा 348(4) के अनुसार यथासंगणित .....रु० (.....रुपये) की रकम के लिए एक विधिक बंधपत्र प्रस्तुत करेगा । उक्त विधिक बंधपत्र पूर्णतः या उसमें हुई कमी के बराबर उस दशा में समपहृत की जा सकेगी यदि इस्पातकर्ता यथा अनुबद्ध अपनी निर्यात बाध्यता पूरी नहीं करता है ।

(च) उक्त आयातकर्ता, निर्यात बाध्यता पूरी करने की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य उक्त मुख्य नियंत्रक को उक्त बहुव्यापी शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र यथा अनुध्यात रूप में पूर्णतः भरकर, पृष्ठांकित करके और उस पर हस्ताक्षर करके तथा अन्य विहित दस्तावेज परिदत्त करेगा या करवाएगा ।

(छ) आयातकर्ता यह भी करार करता है और वचन देता है कि बहुव्यापी शुल्क छूट प्रमाण-पत्र के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शर्तों में वर्णित निर्यात बाध्यता पूरी करने में आयातकर्ता के व्यतिक्रम पर उसके विरुद्ध सरकार द्वारा, आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उपबंधों तथा सरकार द्वारा उक्त आयात के संबंध में बनाए गए अन्य उपबंधों नियमों के अधीन सरकार को उपलब्ध अन्य कार्यवाई करने और आयातित सामग्री के समपहृत करने के लिए विधिक कार्यवाई की जा सकेगी । आयातकर्ता यह भी करार करता है कि

जब्ती की कार्यवाई सरकार द्वारा निर्यात बाध्यता अवधि पूरी होने के पूर्व या पश्चात् किसी समय प्रारम्भ की जा सकेगी।

(ज) आयातकर्ता के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन सीमाशुल्क या अन्य शुल्क शासित, ब्याज और उस पर दायित्व आदि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

(झ) आयातकर्ता व्यतिक्रम की दशा में लागू आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, आयात और निर्यात नीति / आयात निर्यात प्रक्रिया पुस्तिका के तथा इस विषय में नियमों /विनियमों के उन सभी दाण्डिक उपबंधों का पालन करने का करार करता है तथा वचन देता है, जो व्यतिक्रम होने की दशा में लागू होते है, जिनकी बाबत सरकार विनिश्चय करे और यह विनिश्चय अंतिम और आयातकर्ता पर आबद्धकर होगा।

(ञ) आयातकर्ता यह करार करता है और वचन देता है कि वह उपरोक्त बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति के संबंध में प्रक्रिया पुस्तिका 1990—1993 के पैरा 368 क - (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सरकार द्वारा किए गए विनिश्चियों का पालन करेगा।

"उपरोक्त विधिक वचनबंध की शर्तें निम्नलिखित है :—

(i) आयातकर्ता बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति स्कीम और विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों तथा बहुव्यापी शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अनुबंधों सहित अन्य अनुबंधों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा।

(ii) प्रत्याभूतिदाता बैंक, अभिव्यक्त रूप से और अप्रतिसंहरणीय रूप से यह वचन देता है और प्रत्याभूति देता है कि यदि आयातकर्ता बहुव्यापी शुल्क-छूट, स्कीम हकदारी प्रमाणपत्र में अनुबद्ध शर्तों या बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति स्कीम के अधीन बाध्यताओं को पूर्णत या भागत: पूरी करने में असफल रहता है या आयातकर्ता शुल्क छूट स्कीम या अनुज्ञप्ति बहुव्यापी शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों और यथा संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा आयात (नियंत्रण) के आदेश 1955 और उनके अधीन बनाएं गए नियमों के अधीन अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या अनुज्ञप्ति /स्कीम या पूर्वोक्त में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन आयातकर्ता की ओर से कोई अन्य असफलता होती है, जिससे कि उक्त राशि के बारे में किसी भी कारणवश सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: मांग की जाएं, सरकार द्वारा लिखित रूप में मांग की जाने पर, हम आयातकर्ता अविलंब और किसी अन्य प्राधिकारी को मामला निर्देश किए बिना आयतकर्ता से सरकार द्वारा इस निमित्त मांगी गई कोई राशि सरकार को या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को संदत्त करेंगे और अधिकतम .....रु. (.....रु.) तक के संदाय की प्रत्याभूति क्षतिपूरित करेंगे।

(iii) आयातकर्ता द्वारा किसी भी रूप में खड़े किए गए किसी विवाद के होते हुए भी सरकार की लिखित मांग, आयातकर्ता से आवश्यक व्यौरे का यह कथन करेगी कि इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबंधनों सहित पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति / बहुव्यापी अग्रिम अनुज्ञप्ति स्कीम के निबंधनों और शर्तों के अधीन आयातकर्ता संदाय की मांग की जाती है और सरकार की ऐसी पूर्वोक्त मांग आयातकर्ता के लिए अंतिम और उस पर आबद्धकर होगी।

(iv) यदि आयातकर्ता उपयुक्त रूप से उसके द्वारा वचनबद्ध निर्यात बाध्यता को पूरा करने में समर्थ नहीं है तो उक्त आयातकर्ता संबंधित आयात और निर्यात, संयुक्त / उप मुख्य नियंत्रक नई दिल्ली के अनुदेशों पर आयातकर्ता के पास बची उपर्युक्त छूट प्राप्त सामग्री को ऐसे किसी भी अधिकरण को यदि जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक भी हैं (जिसे सरकार नाम निर्दिष्ट करे किसी भी रीति में व्ययन के लिए सौंप देगा और ऐसे विक्रय से प्राप्त वसूल की गई रकम को, उक्त अधिकरण के साधारण कमीशन की ओर उपगत किए गए अन्य व्ययों की कटौती करने के पश्चात् सरकार के पास निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए जमा कर दिया जाएगा। उक्त कीमत की बाबत ऐसे अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और आयात कर्ता पर आबद्ध कर होगा।

(v) आयातकर्ता, साथ-साथ यह भी वचनबंध करता है कि वह उपरोक्त आयात अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट मूल्य के समतुल्य राशि के अतिरिक्त या उक्त अनुज्ञप्ति के अनुसार आयात किए गए माल की सीमा तक राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, सरकार को परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में संदाय करेगा और इस बाबत आयात और निर्यात/ संयुक्त उप मुख्य नियंत्रक का विनिश्चय अंतिम होगा और आधातकर्ता पर आबद्धकर होगा।

(vi) यह कि आयातकर्ता द्वारा किया गया उपरोक्त वचनबंध चालू रहेगा और आयातकर्ता के गठन में किसी परिवर्तन से भी उन्मोचित नहीं होगा। सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित मांग के प्राप्त होने पर आयात कर्ता इस विधिक वचनबद्ध के अधीन सरकार को तुरंत संदाय करके क्षतिपूर्ति करेगा।

(vii) यह कि उपरोक्त नामित आयातकर्ता द्वारा यह विधिक वचनबंध जनहित में निष्पादित किया जाता है।

(viii) उपर्युक्त विधिक वचनबंध में सरकार द्वारा मांगी गई रकम के संदाय से आधातकर्ता के दायित्व पर, जिसके अन्तर्गत आयातित सामग्री के जब्त किए जाने के लिए विधिक कार्यवाहियों को प्रारम्भ करना और आगे अनुज्ञप्तियां देने से इंकार करना तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश (1955) और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 आयात व्यापार नियंत्रण विनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अन्य दायित्वों, आस्तियों और परिणामों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ix) यह कि विधिक वचनबंध और उसके अधीन आयातकर्ता की आध्यताएं तब तक पूर्णत बलशील रहेंगी जब तक सरकार के पूर्व और अंतिम समाधानप्रद रूप से, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, पूरी नहीं हो जाती हैं और जब ऐसा समाधान आयातकर्ता को सूचित नहीं कर दिया जाता है।

इसके साक्ष्य स्वरूप ऊपर नामित पक्षकारों से यह विधिक वचनबंध तारीख.....को सम्यक रूप से निष्पादित किया ऊपर नामित आयातकर्ता ने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए इस पर मुहर लगाई और इसे परिदत्त किया :

साक्षी

1. ------------------(आयातकर्ता / आयातकर्ता फर्म का पूरा वर्णन)

2. ------------------प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट /नोटरी पब्लिक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

साक्षियों को अपनी वृत्ति और पूरा पता देना चाहिए

टिप्पण

आयातकर्ता के लिए :—

1. यदि आयातकर्ता एक मात्र स्वत्वधारी फर्म है तो वह वचनबद्ध उक्त एकमात्र स्वत्वधारी फर्म के एकमात्र स्वत्वधारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा। स्वत्वधारी अपना पूरा स्थायी पता भी दे।

2. यदि आयातकर्ता एक भागीदारी फर्म है तो वह वचनबद्ध भागीदारों या प्रबंधक भागीदार, जैसे भागीदारी विलेख में विनिर्दिष्ट किया गया हो, के माध्यम से भागीदारी फर्म के नाम में निष्पादित किया जाएगा।

यदि आयातकर्ता / निर्यातकर्ता एक लिमिटेड कंपनी है तो विधिक [illegible] कंपनी के निदेशक बोर्ड के संकल्प [illegible] प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा और [illegible] और पते देकर निष्पादित [illegible] कंपनी की सामान्य मुद्रा [illegible] साक्षियों के पद नाम और [illegible]

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 60—ITC(PN)/90-93

New Delhi, the 10th September, 1990

Subject: Hand Book of Procedures for April, 1990—March, 1993.

File No. 1/3/85—EPC:—Attention is invited to the Hand Book of Procedures (Volume I) for April, 1990—March, 1993 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2—ITC(PN)/90-93 dated the 30th March, 1990, as amended.

2. The following amendment shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:

| Sl. No. | Page No. of Hand Book of Procedures, 1990-93 (Volume-I) | Reference | Amendment |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 293 | Appendix XIX-L | After this Appendix, a new Appendix "XIX-M" as per Annexure 'A' to this Notification shall be added. |

3. The above amendment has been made in public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

**ANNEXURE-A**

## APPENDIX XIX-M

## FORM OF LEGAL UNDERTAKING TO BE EXECUTED BY A BLANKET ADVANCE LICENCE HOLDER UNDER DUTY EXEMPTION SCHEME

(To be executed by the importer on a non-judicial stamp paper of minimum value of Rs. 15 or any amount as may be prescribed by the Stamp Collector of respective State Goverment).

To

The President of India
Through

The Chief Controller of Imports & Exports (Which expression shall be deemed to include the JCCI&E| DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E| DCCI&E) Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011.

This DEED Executed on————day———— of ———— month———— year 19———— by ————(full expanded name of the IMPORTER| IMPORTER-firm with complete address, as per the instructions given below) hereinafter referred to as 'IMPORTER' (which expression shall be deemed to include the heirs, successors, administrators, and permitted assigns).

The above named IMPORTER is held and firmly bound to the President of India acting through the Chief Controller of Imports and Exports, Ministry of Commerce (which expression shall be deemed to include the JCCI&E|DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E|DCCI&E) hereinafter called the GOVERNMENT for the sum of Rs.———— (in figures and words) ————to be paid to the GOVERNMENT on written demand of the GOVERNMENT.

1. WHEREAS, the above named IMPORTER has applied for a Blanket Advance Licence under the Blanket Advance Licensing Scheme notified by the GOVERNMENT of India, vide Paras 253 to 260 to the Import & Export Policy, 1990-93 (Vol. I).

2. WHEREAS the GOVERNMENT has permitted the IMPORTER to import the specified items (hereinafter referred to as 'Exempt material') and has agreed to issue Blanket Advance Licence No.———— Dated————for a value of Rs.———— (both in figures and words) for the import of the items on the terms and conditions specified in the aforesaid Scheme and has also issued a Blanket Duty Exemption Entitlement Certificate No.————dated———— issued under notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 160|90-Customs dated the 30th March, 1990 as amended up to date.

3. AND WHEREAS, the IMPORTER has agreed to furnish a Legal Undertaking in consideration of GOVERNMENT's agreeing to issue the Blanket Advance Licence with an Export Obligation of

Rs.————(in figures and words)————. The IMPORTER has also agreed, and has undertaken to realise foreign exchange equivalent to the amount of export obligation mentioned hereinabove, as also in compliance with the provisions of the aforesaid Scheme.

4. AND WHEREAS the IMPORTER has agreed that :

(a) the items imported under the Blanket Advance Licence are related to the Resultant Product(s) and the quantity thereof would be limited to the extent estimated as required for fulfilment of export obligation;

(b) the input-output norms and value addition fixed by the GOVERNMENT and any other conditions imposed in public interest will be final and binding;

(c) within 18 months from the date of issue of the Blanket Advance Licence or such further time as may be granted by the GOVERNMENT to export the goods corresponding to the resultant product as specified in the Blanket Duty Exemption Entitlement Certificate referred to above (hereinafter referred to as "the resultant product") and required under the aforesaid Scheme to be exported to a place outside India (except to any place in Nepal and Bhutan if not paid in free foreign exchange) in accordance with the terms and conditions of the aforesaid licence and Blanket duty Exemption Entitlement Certificate and fulfil all other terms and conditions :—

(i) mentioned in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Customs Notification No. 160|90 dated 30th March, 1990; and

(ii) Subject to any other conditions for clearance of the goods by the Collector of Customs.

(d) That the import licence issued to the IMPORTER shall be non-transferable.

(e) Before clearance of the first consignment of import is allowed, the IMPORTER shall furnish a Legal Undertaking for an amount of Rs.- ——— (in words)————|To be calculated as per para 348(4) of the Hand Book of Procedures, 1990-93| The said Legal Undertaking will be liable to be forfeited in full or equivalent to the shortfall if the IMPORTER does not meet their export obligation as stipulated.

(f) The IMPORTER shall deliver or cause to be delivered to the Joint Chief Controller of Imports & Exports|Deputy Chief Controller of Imports & Exports within three months from the date of expiry of the aforesaid period of fulfilment of export obligation, the Blanket Duty Exemption Entitlement Certificate duly filled in, endorsed and signed as stipulated together with all other prescribed documents.

(g) That the IMPORTER further agrees and undertakes that in the event of the IMPORTER's default in meeting the export obligation set out in the conditions as specified under the Blanket Duty Exemption Entitlement Certificate, the IMPORTER would be liable to the GOVERNMENT instituting legal actions against them for confiscation of the imported material and also taking any other action available to the GOVERNMENT under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 and other provisions|rules formulated by the GOVERNMENT relating to the said import. The IMPORTER further agreed that the confiscation proceedings may be initiated by the GOVERNMENT at any time before or after the completion of export obligation period.

(h) That the IMPORTER is liable for all actions taken for recovery of customs or other duties, penalties, interest, and other liabilities under the provisions of the Custom Act, 1962.

(i) That the IMPORTER further agrees and undertakes to abide by all the penal provisions under the Import & Export (Control) Act, 1947 and Rules framed thereunder, the Import & Export Policy|Hand Book of Procedures and other Rules|Regulations governing the matter in case of default, as may be decided by the GOVERNMENT, which decision shall be final and binding on them.

(j) That the IMPORTER further agrees and undertakes to abide by the decisions taken by the GOVERNMENT in terms of the provisions contained in Para 368-A(7) of the Hand Book of Procedures, 1990-93 with regard to the Blanket Advance Licence referred to above.

NOW THE CONDITIONS OF THE ABOVE LEGAL UNDERTAKINGS ARE AS FOLLOWS :

(i) That the IMPORTER shall faithfully comply with all the obligations under the Blanket Advance Licensing Scheme and the terms and conditions specified in the Blanket Advance Licence and other stipulations, including the stipulations specified in the Blanket Duty Exemption Entitlement Certificate.

(ii) That the IMPORTER do hereby expressly and irrevocably undertake and guarantee that if the IMPORTER fails to fulfil the whole or part of the obligations under the Blanket Duty Exemption Entitlement Certificate or if the IMPORTER is not able to furnish any information required under the Duty Exemption Scheme or under the terms and conditions of the licence|Blanket Duty Exemption Entitlement Certificate and the rules framed under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 as amended or the rules framed

thereunder of or if there is any other failure of any kind whatsoever on the part of the IMPORTER under the terms specified in the licence|Scheme or aforesaid provisions whereby the said amount is demanded by the GOVERNMENT in whole or in part for any reason whatsoever, on the written demand of the GOVERNMENT we the IMPORTER shall forthwith without any demur or without reference to any other authority pay to the GOVERNMENT or to any officer authorised by the GOVERNMENT in this behalf the sum demanded by the GOVERNMENT from the IMPORTER and also to indemnify and Guarantee the payment upto maximum of Rs.———— (in words)————.

(iii) The GOVERNMENT written demand to the Importer shall state that the payment is demanded from the IMPORTER under the terms and conditions of the aforesaid licence|Blanket Advance Licensing Scheme, including the terms specified hereinabove and such above demand by the GOVERNMENT shall be final and binding upon the IMPORTER, notwithstanding any dispute raised by the IMPORTER in any forum.

(iv) That in the event of the IMPORTER not being able to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid, the IMPORTER shall on the instructions of the concerned Jt.|Dy. Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, hand over to any agency as the GOVERNMENT (including CCI&E) may nominate, the exempt material left unutilised with the IMPORTER for disposal in any manner as GOVERNMENT deem fit and the amount so recovered by such sale shall be deposited with the GOVERNMENT towards the fulfilment of the export obligation after deducting the normal commission and other expenses incurred by the said agency. The decision of such Agency as to the sale price would be final and binding on the IMPORTER.

(v) The IMPORTER further undertakes to pay in addition simultaneously a sum equivalent to the value of import licence referred to above or to the extent of goods imported against the said licence whichever is higher by way of liquidated damages to the GOVERNMENT and the decision of JCCI|DCCI&E shall be final and binding on the IMPORTER.

(vi) That the above named Legal Undertaking by the IMPORTER shall be continuing and shall not be discharged by any change in the constitution of the IMPORTER. The IMPORTER further undertakes to Indemnify the GOVERNMENT and agrees to make the payment under this Legal Undertaking forthwith on the receipt of the written demand of the GOVERNMENT or any officer authorised by the GOVERNMENT in this behalf.

(vii) That this Legal Undertaking is executed by the above named IMPORTER in the public interest.

(viii) That the payment of the amount demanded by the GOVERNMENT in the above named Legal Undertaking from the IMPORTER will not affect the liability of the IMPORTER to any other action including the initiation of legal proceedings for confiscation of the imported material and refusal of further licences and all other liabilities and penalties and the consequences under the provsions of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, Imports (Control) Order, 1955, as amended, the Customs Act, 1962, the Import Trade Control Regulations and any other laws in force that may be decided by the GOVERNMENT.

(ix) That the Legal Undertaking and the obligations of the IMPORTER thereunder shall remain in full force till all the obligations of the IMPORTER are fully discharged to the full and final satisfaction of the GOVERNMENT as specified above and when such satisfaction is communicated to the IMPORTER.

IN WITNESS WHERE OF the above named parties hereto have duly excuted this Legal Undertaking on this———— day of ————, 199 . signed, sealed and delivered by the above named IMPORTER in the presence of :

Witnesses*

1.————

(————Full and expanded description of the IMPORTER|IMPORTER firm).

2.————(To be authenticated|attested by 1st Class Magistrate|Notary public).

*Witnesses should also give their occupation and full address

NOTE

1. If the IMPORTER is a sole proprietary firm, legal undertaking is to be executed by the sole proprietor of the said sole proprietary firm along with his permanent complete address.

2. If the IMPORTER is a partnership firm, the legal undertaking is to be executed in the name of the partnership firm through the partners or managing partners as may be specified in the partnership deed.

3. If the IMPORTER|EXPORTER is a limited company, the legal undertaking is to be signed by the person duly authorised for the purpose by a resolution of the Board of Directors of the Company under common seal of the Company alongwith two witnesses with their designation and addresses.

Printed by the Manager Govt of India Press, Ring Road, New Delhi 110064
and published by the Controller of Publications Delhi-110054. 1990